दिनांक 15/09/22 को प्रस्तुत हो।

15/09/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। न्यायालय की विवेचना कुछ इस प्रकार है :- प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सीविल प्रक्रिया संहिता अनुसार न्यायालय को 3 बिंदुओं : प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति ; पर प्रा० पत्र का परीक्षण करना होता है। हस्तगत प्रा० पत्र में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त खसरा नंबरान मोहनलाल की पुश्तैनी सहजीयात है परंतु इसके पक्ष में उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहा है व ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपस्थित नहीं है जिससे यह साबित होता हो। इस संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथन का खंडन किया गया है।

प्रा० पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादीगण/अप्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के स्वअर्जित संपत्ति होने के कथन मय दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध ना तो तार्किक बहस ना ही दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से इस न्यायालय को संतुष्ट कर पाने में सफल रहा है ना ही इस प्रा० पत्र में वर्णित कथन को [illegible] है। अत: प्रार्थी द्वारा [illegible] निषेधाज्ञा परीक्षण हेतु [illegible] तीनों बिंदुओं (प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.12.28 14:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपूरणीय क्षति) पर अपना प्रा॰पत्र साबित कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः प्रा॰पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित ना होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। यह फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस फैसले की सूचना हेतु तहसीलदार, [redacted] (फुलेरा) को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
फुलेरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.12.28 14:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner